

पर्यटन विभाग

क्र० सं०	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	परिवाद निवारण हेतु नामित लोक प्राधिकार
1.	2.	3.	4	5.
1.	पर्यटन के विकास हेतु मेला महोत्सवों का आयोजन	राज्य में महोत्सव के आयोजन से स्थानीय स्तर के कलाकारों को अपनी प्रतिभा को राज्य स्तरीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय कला संस्कृति पर्यटन को महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मेला के आयोजन से स्थानीय लोगों को अपनी हस्तशिल्प, उत्पादों को विपणन हेतु व्यापक अवसर प्राप्त होता है। मेला में स्थानीय कला संस्कृति, उत्पाद, हस्तशिल्प को प्रदर्शित कर राज्य में आगत पर्यटकों को बिहारी संस्कृति से परिचय कराया जाता है।	स्थानीय कलाकार/स्थानीय उत्पादनकर्ता	सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय
2.	पर्यटन के विकास हेतु प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य	इसके अन्तर्गत बिहार के पर्यटक स्थलों, मेला महोत्सवों आदि के बारे में देश एवं विदेश में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाता है। पर्यटकों/आगन्तुकों के लिए ब्रोशर, बुकलेट, बुक, मैप आदि भी मुहैया कराया जाता है।	कोई भी पर्यटक	सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय
3.	पर्यटन स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य	इस योजना के अंतर्गत बिहार के पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है, ताकि इन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर पर्यटकीय संरचनाओं का लाभ एवं सुविधा मिल सके। इसके तहत होटल, जन सुविधा, पार्किंग, लैन्ड स्केपिंग, यात्री निवास, स्थलीय विकास आदि कई तरह के पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण किया जाता है।	किसी भी स्थल पर पर्यटकीय संरचना का विकास करने से वहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान होती है। इससे पर्यटकों के प्रवाह में वृद्धि होती है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ आस-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार सृजित करता है।	सहायक निदेशक, पर्यटन (योजना) विभाग
4.	होटल-रेस्तरों का संचालन	बिहार के विभिन्न पर्यटकीय स्थलों पर आवासन एवं भोजन हेतु होटल एवं रेस्तरों का संचालन निगम द्वारा स्वयं एवं PPP मोड के तहत संचालन कराया जा रहा है।	भुगतान के आधार पर कोई भी पर्यटक	महाप्रबंधक, BSTDC
5.	परिसंपत्तियों का रख-रखाव	बिहार स्टेट टूरिज्म द्वारा संचालन परिसम्पत्ति के रख-रखाव अभियंत्रण शाखा एवं वहाँ प्रतिनियुक्त प्रबंधक एवं सुरक्षा हेतु मानवबल एजेंसी के माध्यम से प्रतिनियुक्त सुरक्षा प्रहरी द्वारा किया जाता है।		महाप्रबंधक, BSTDC

6.	बस/कार का संचालन	बस का संचालन PPP मोड के तहत पटना-पूर्णियाँ एवं पटना-मुण्डेश्वरी किया जाता है, एवं कार का संचालन प्रीपेड टैक्सी पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी जगह जाने के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के भ्रमण हेतु बस एवं कार का आरक्षण कराया जाता है।	भुगतान के आधार पर कोई भी पर्यटक	महाप्रबंधक, BSTDC
7.	संविदागत कर्मियों के भुगतान संबंधित मामले	वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में चालकों एवं कार्यालय परिचारी की आपूर्ति की जाती है। जिसका पारिश्रमिक भुगतान अधियाची विभाग से प्राप्त राशि के आलोक में संबंधित एजेंसी के माध्यम से मानवबल को भुगतान कराया जाता है।	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मॉग के आलोक में आउटसोर्स के आधार पर कार्य हेतु मानवबल उपलब्ध कराने की सुविधा	महाप्रबंधक, BSTDC
8.	पर्यटन के विकास हेतु विभाग से अनुमोदित पर्यटकीय अवसंरचनाओं के निर्माण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन	1. पिण्डदान (पितृपक्ष मेला) किसी भी राज्य से पिण्डदान के लिए आये हुए पर्यटकों को ठहरने/आवासन की निःशुल्क व्यवस्था German Hanger टेन्ट का निर्माण किया जाता है। पिण्डदान हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन की व्यवस्था शुल्क के आधार पर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के शाखा ट्रेवल एण्ड ट्रेड से किया जाता है। 2. स्वीस कोटेज-हरिहर क्षेत्र एषिया प्रसिद्ध पशु मेला सोनुपर में प्रत्येक साल पर्यटकों के लिए स्वीस कोटेज का निर्माण कराया जाना।	भुगतान के आधार पर कोई भी पर्यटक	मुख्य अभियंता, BSTDC
		3.श्रावणी मेला में रैन शेल्टर का निर्माण सुल्तानगंज – धानीबेलारी– खेरा– मोजमा– सुरभा– अवरखा– कॉवरियों– लुल्हा षिवलोक– चिहुतजोर– जिलेबिया– डुम्बामोड़ में पर्यटकों के लिए निःशुल्क आवासन, सांस्कृति कार्यक्रम, पेयजल सुविधा, हेल्पडेस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, मेडिकल काउन्टर की व्यवस्था की जाती है। 4. मालमास मेला राजगीर में पर्यटकों की सुविधा के लिए VIP कोटेज, डोरमेंटरी बेड, सांस्कृति कार्यक्रम, पेयजल सुविधा, हेल्पडेस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, मेडिकल काउन्टर एवं सस्ती रोटी का काउन्टर की व्यवस्था की जाती है। 5. कंगनघाट में प्रकाष पर्व के अवसर पर सिक्ख पर्यटकों के लिए निःशुल्क आवासन, सांस्कृति कार्यक्रम, पेयजल सुविधा, हेल्पडेस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, मेडिकल काउन्टर की व्यवस्था की जाती है।	निःशुल्क कोई भी पर्यटक	
9.	जिलों से संबंधित पर्यटन के मामले			पर्यटन उपसमाहर्ता (नामित/अधिसूचित)